पत्रांक–17/विविध–1–56/12 - 215 (17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
सरकार के प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

अधीक्षक,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।

लहेरियासराय, दिनांक– 19/2/13

विषय :– उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–783(17) दिनांक–13.06.2012 एवं 894(17) दिनांक–05.07.12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया निदेश किया जाए।

प्रासंगिक पत्र से सभी अधीक्षक को यह निदेश निर्गत है कि चिकित्सक प्रतिदिन उपस्थिति विवरणी O.P.D. एवं इमरजेन्सी एवं प्रातः तथा संध्या कालीन पाली में चिकित्सकों का वार्ड में भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से फैक्स द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए।

समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य आई है कि किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल से उपरोक्त विवरणी नहीं भेजी जा रही है। यह अत्यंत ही दुखद, उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन एवं आपके स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। विवरणी उपलब्ध नहीं कराये जाने से यह स्थापित होता है कि आपका अस्पताल पर नियंत्रण नहीं है। प्रभावी नियंत्रण नहीं रहने के कारण यह भी संभव है कि चिकित्सक स्वेच्छा से अस्पताल में आते हों एवं चले जाते हों। इसकी पुष्टि में आम जनता से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि अस्पताल में चिकित्सक समय से न तो आते हैं और नहीं पूरे समय तक अस्पताल में रहते हैं।

विभाग द्वारा एक Website (आरोग्य) विकसित की गई है। इसी बेबसाईट पर उपस्थिति विवरणी अनिवार्य रूप से प्रतिदिन 9.30 बजे पूर्वाह्न तक अपलोड कर देनी है। तत्संबंधी जानकारी एवं प्रशिक्षण भी विभागीय आई0टी0 मैनेजर द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के कर्मियों को दी

जा चुकी है। इस हेतु आप सभी को E-Mail के द्वारा स्मारित भी किया गया है। बावजूद इसके फलाफल शून्य है।

अतः आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि अनिवार्य रूप से उपस्थिति विवरणी प्रतिदिन 9.30 बजे पूर्वाह्न तक उपरोक्त Website पर अपलोड करा दी जाए। यदि इस प्रक्रिया में कोई असुविधा हो तो पूर्व की भाँति प्रतिवेदन Fax के माध्यम से भेजी जाए। चिकित्सकों की उपस्थिति प्रतिदिन 9.30 बजे पूर्वाह्न में Fax से भेजी जाए। यदि पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो संबंधित कम्प्यूटर कर्मी को तुरत प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय भेज दें।

उपस्थिति विवरणी अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे तथा यह समझा जायेगा कि अधीक्षक स्वयं अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं। तद्नुसार आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि: मंत्री, स्वास्थ्य को सूचनार्थ प्रेषित।

D/Ajay sir/Letter-1